न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः झंवर लाल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्याः:– 127 / 2025

उनवान

1. राकेश मेहता पुत्र श्री बुध सिंह मेहता नि0 गॉधीनगर, भीलवाडा तह0 व जिला भीलवाडा(राज0)

— प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री शंकर लाल जाट नि0 देवली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. राजु लाल पुत्र श्री शंकर लाल जाट नि0 देवली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
3. श्रीमती रेखा देवी पुत्री श्री शंकर लाल जाट नि0 देवली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
4. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्री शंकर लाल जाट नि0 देवली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
5. किशन लाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाट नि0 देवली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
6. बालुलाल पुत्र हीरालाल जाट नि0 राजोला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
7. लादु पुत्र गणेश जाट नि0 राजोला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
8. रतनलाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाट तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
9. नाराणी पत्नि मांगीलाल जाट नि0 देवली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 16.04.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक **19.08.2025** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम **देवली पटवार हल्का देवली भू.अ.नि.क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. में खाता संख्या 424 खसरा संख्या 177/2 रकबा 0.6828 है0, कुल खसरे 01 कुल रकबा 0.6828 हैक्टेयर** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **19–08–2025** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या **01 लगायत 04** की ओर से जवाब पेश किया गया जो शा.फा.। विपक्षी संख्या 05 से 09 के विरूद्ध बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **देवली पटवार हल्का देवली भू.अ.नि.क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. में खाता संख्या 424 खसरा संख्या 177/2 रकबा 0.6828 है0, कुल खसरे 01 कुल रकबा 0.6828 हैक्टेयर** भूमि जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 16.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ (राज.)